Toppersnotes®
Unleash the topper in you

उत्तर प्रदेश

लेखपाल

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC)

भाग - 3

ग्राम्य समाज एवं विकास

SIERRA INNOVATIONS

विषयसूची

S No.	Chapter Title	Page No.
1	उत्तर प्रदेश में ग्रामीण, शहरी एवं जनजातीय मुद्दे	1
2	उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन	10
3	उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार एवं इसका प्रभाव	13
4	उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य और चिकित्सीय मुद्दे	15
5	भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका, नवाचार, मुद्दे एवं प्रभाव	18
6	जल शक्ति मिशन एवं अन्य केन्द्रीय योजनायें एवं उनका क्रियान्वन	24
7	लोक कल्याणकारी योजनायें, परियोजनाएं एवं नियोजित विकास	30
8	उत्तर प्रदेश की जनांकिकी, जनसंख्या एवं जनगणना	50
9	उत्तर प्रदेश – कृषि का वाणिज्यकरण एवं उत्पादन	52
10	सामाजिक एवं कृषि वानिकी	59
11	मत्स्य, अंगूर, रेशम, फूल, बागवानी, एवं पौध उत्पादन तथा विकास में इनका प्रभाव	64
12	ग्राम विकास भारतीय सन्दर्भ में	70
13	ग्राम विकास शोध प्रणालियाँ	73
14	कृषि एवं पशु पालन और कृषि यंत्र	80
15	चकबंदी एवं लेखपाल के कार्य	84
16	भारतीय एवं ग्रामीण सामाजिक विकास	92
17	भूमि सुधार एवं भूमि की मापन पद्धतियाँ	96
18	उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत	98
19	उत्तर प्रदेश की भौगोलिक विशेषता	109
20	उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति एवं प्राचीन नगर	126
21	उत्तर प्रदेश की राज्यव्यवस्था	135

1 CHAPTER उत्तर प्रदेश में ग्रामीण, शहरी एवं जनजातीय मुद्दे

- भारत में सर्वाधिक जनसँख्या वाला राज्य है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या - 19,98,12,341 (देश की कुल जनसंख्या का 16.51%) है
- जिसमे राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत - 52.29% एवं महिलाओं का प्रतिशत 47.71% है
- राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत -77.73% है अर्थात लगभग दो-तिहाई जनसँख्या गाँवों में निवास करती है
- गाँवों में रहने वाली जनसँख्या का आजीवका का आधार कृषि एवं पशुपालन है

ग्रामीण क्षेत्र के मुद्दे

1. कृषि उत्पादकता

- उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण ग्रामीण आबादी है जो कृषि में लगी हुई है।
- हालांकि, राज्य में कृषि उत्पादकता राष्ट्रीय औसत से कम है।
- राज्य आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार उत्तर प्रदेश में धान, गेहूं और मक्का की औसत उपज राष्ट्रीय औसत से कम है।
- ग्रामीण क्षेत्र में **कृषि से सम्बन्धित समस्याएं** -
  - आधुनिक कृषि तकनीकों की कमी,
  - अपर्याप्त सिंचाई सुविधाओं
  - गुणवत्ता वाले बीजों और उर्वरकों तक सीमित पहुंच
  - मानसून पर निर्भरता
  - भूमि क्षरण
  - ऋण की कमी
  - बाजार तक पहुंच का अभाव
  - भंडारण सुविधाओं का अभाव
  - कुछ फसलों पर निर्भरता
  - स्थायी कृषि के बारे में जागरूकता की कमी
  - शारीरिक श्रम पर निर्भरता , तकनीकों का अभाव

2. गरीबी

- उत्तर प्रदेश में देश में सबसे अधिक गरीबी दर है।
- विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार, राज्य की 29% से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है,
- शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र अधिक प्रभावित हैं।

3. शिक्षा

- उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच एक बड़ी चुनौती है।
- शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ASER) 2020 के अनुसार, राज्य के केवल 60% ग्रामीण बच्चे सरकारी स्कूलों में नामांकित हैं।
- इसके अलावा, शिक्षा की गुणवत्ता खराब है,
- कक्षा V के केवल 28% छात्र कक्षा II स्तर का पाठ पढ़ने में सक्षम हैं।

4. स्वास्थ्य देखभाल

- उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं और चिकित्सा पेशेवरों की भारी कमी है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुसार, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में **डॉक्टर-मरीज का अनुपात 1:11,000 है,** जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित **1:1,000 के अनुपात से बहुत कम** है।

5. स्वच्छता

- उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में उचित स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच एक प्रमुख मुद्दा है।
- 2011 की जनगणना के अनुसार, राज्य में केवल 38% ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय है, और खुले में शौच अभी भी व्यापक रूप से प्रचलित है।

6. पेयजल

- ग्रामीण उत्तर प्रदेश में सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण चुनौती है।
- नीति आयोग की समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (सीडब्ल्यूएमआई) रिपोर्ट 2019 के अनुसार, राज्य में ग्रामीण परिवारों का उच्चतम प्रतिशत (71%) है, जिनके पास पाइप जलापूर्ति तक पहुंच नहीं है।

7. बिजली

- उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिजली की कमी का सामना करना पड़ता है।
- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार, 2020 में राज्य की बिजली की अधिकतम मांग 25,863 मेगावाट थी, लेकिन वास्तविक आपूर्ति केवल 22,352 मेगावाट थी।
- अप्रैल - दिसम्बर 2022 तक ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत का औसत घंटे 17.26 है

8. लैंगिक असमानता

- ग्रामीण उत्तर प्रदेश में महिलाओं को महत्वपूर्ण भेदभाव का सामना करना पड़ता है और उन्हें बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा जाता है।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 (एनएफएचएस 5) के अनुसार, राज्य में 30.8% महिलाओं ने शारीरिक या यौन हिंसा का अनुभव किया है, और केवल 39.5% महिलाओं की बैंक खातों तक पहुंच है।

9. बेरोजगारी

- उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी बेरोजगारी की गंभीर समस्या है।
- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) 2019-20 के अनुसार, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी **दर 10.8%** थी।

10. प्रवासन

- ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक अवसरों की कमी के परिणामस्वरूप शहरी क्षेत्रों और अन्य राज्यों में महत्वपूर्ण प्रवासन हुआ है।
- 2011 की जनगणना के अनुसार, सभी भारतीय राज्यों में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक प्रवासी (23 मिलियन) थे।

समाधान के प्रयास

- प्रदेश की 77.73 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या (जनगणना 2011 के अनुसार) के सर्वांगीण विकास हेतु सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ग्रामीण जनसंख्या को मूलभूत सुविधाओं के साथ रोजगार परक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
- एस०डी०जी० के अन्तर्गत ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज के निम्न संकेतकों को शामिल किया गया है-
  - मनरेगा अन्तर्गत रोजगार प्राप्त परिवारों का प्रतिशत ।
  - स्वयं सहायता समूह के अन्तर्गत आच्छादित परिवारों का प्रतिशत ।
  - आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत आच्छादित परिवारों की संख्या ।
  - स्वच्छ जल के अन्तर्गत आच्छादित परिवारों का प्रतिशत ।
  - व्यक्तिगत शौचालय योजना के अन्तर्गत आच्छादित परिवारों का प्रतिशत ।
  - पाइपलाइन पेयजल के अन्तर्गत आच्छादित बस्तियां ।

ग्राम्य विकास के कार्यक्रम / योजनाएं

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम (मनरेगा)
- उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन (यूपीएसआरएलएम)
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
- मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)
- सामुदायिक विकास योजना
- विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि (विधायक निधि)
- बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना
- दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई)
- प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)
- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP)
- स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण
- एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP)
- मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना
- किसान ऋण मोचन योजना
- किसान पेंशन योजना
- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
- समग्र ग्राम विकास योजना
- किसान सर्वहित बीमा योजना

शहरीकरण एवं मुद्दे

- जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या (19.96 करोड़) वाला राज्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश देश के **सबसे कम नगरीकृत** राज्यों में से एक है।
- यहां नगरीय जनसंख्या मात्र 4.45 करोड़ है. जो राज्य की कुल जनसंख्या **का 22.28 प्रतिशत है**।
- दूसरी तरफ जनगणना 2011 के अनुसार देश में नगरीय जनसंख्या का **राष्ट्रीय अंश 31.14 प्रतिशत** है, जो उत्तर प्रदेश से काफी अधिक है।
- राज्य की कुल जनसंख्या में **नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत की** दृष्टि से देश के राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान **30वां है**।
- राज्य में 15.51 करोड़ जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, जो राज्य की कुल **जनसंख्या का 77.72 प्रतिशत** है।
- भारत के नगरों में निवास करने वाली कुल जनसंख्या का 11.80 प्रतिशत जनसंख्या उत्तर प्रदेश के नगरों में निवास करती है।
- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में
  - **पश्चिमी क्षेत्रों में 32.45 प्रतिशत** नगरीय जनसंख्या (सबसे अधिक)
  - **पूर्वी क्षेत्र में मात्र 13.40 प्रतिशत** जनसंख्या (सबसे कम)
  - प्रदेश के **केन्द्रीय और बुंदेलखण्ड क्षेत्र में नगरीय** जनसंख्या क्रमशः **20.06 प्रतिशत और 22.74** प्रतिशत निवास करती है, जो पूर्वी क्षेत्र से काफी अधिक है।
- मेट्रोपोलिटन सिटी की संख्या प्रदेश में 06 (2000) से बढ़कर 07 (2011 में) हो गई है।
- जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अ अधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिलों की संख्या 12 है।
- इसके अतिरिक्त प्रदेश नगर निगम क्षेत्र के आधार पर 10 लाख से अधिक जनसंख्या की संख्या 7 है-
  1. लखनऊ (2.82 मिलियन)
  2. कानपुर नगर (2.77 मिलियन)
  3. गाजियाबाद (1.64 मिलियन)
  4. आगरा (1.58 मिलियन)
  5. मेरठ (1.31 मिलियन)
  6. वाराणसी (1.20 मिलियन)
  7. प्रयागराज (1.12 मिलियन)

शहरी क्षेत्र के मुद्दे या समस्याएँ

- **प्रदूषण की समस्या**
  - उत्तर प्रदेश के नगरों में प्रदूषण की समस्या बेहद गंभीर है।
  - वाहनों की बढ़ती संख्या, वायु, ध्वनि आदि ने प्रदूषण का स्तर बढ़ा दिया है।
  - गैर-सरकारी संगठन ग्रीन पीस इण्डिया की ताजा रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद, बरेली, प्रयागराज, मुरादाबाद और फिरोजाबाद की हवा बेहद खराब बताई गयी है।
  - रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के यह **6 नगर भारत के सर्वाधिक प्रदूषित 10 नगरों में** शामिल हैं।
  - इसके अतिरिक्त प्रदेश के 16 नगरों को वायु प्रदूषण की दृष्टि से बेहद खतरनाक स्थिति में माना गया है। ये नगर हैं- लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद, नोएडा, खुर्जा (बुलंदशहर), फिरोजाबाद, अनपरा (सोनभद्र), गजरौला (बिजनौर), झांसी, मुरादाबाद, रायबरेली, बरेली तथा मेरठ।
  - प्रदेश सरकार द्वारा इन 16 नगरों में हॉट स्पॉट अर्थात् सर्वाधिक प्रदूषण वाले क्षेत्र चिह्नित किये जा रहे हैं।
- **यातायात भीड़**
  - शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में, इलाहाबाद, आगरा और लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के कई शहरों को भारत के सबसे भीड़भाड़ वाले शहरों में पाया गया।
  - इससे पर्यावरण प्रदुषण में वृद्धि होने से सांस लेना मुश्किल हो रहा है
  - इस समस्या को हल करने के लिए राज्य में मेट्रो का संचालन किया जा रहा है
- **अपशिष्ट प्रबंधन**
  - भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की एक रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश में कई शहरी स्थानीय निकाय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, जिसके कारण अपर्याप्त अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली थी।
- **अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा**
  - राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (NSSO) की एक रिपोर्ट के अनुसार, शौचालय, बिजली और पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुँच के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है।
- **सार्वजनिक सुरक्षा**
  - राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के 2020 के आंकड़ों से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ सबसे अधिक अपराध हैं
  - भारतीय राज्यों में समग्र अपराध दर के मामले में यह तीसरे स्थान पर है।
- **किफायती आवास की कमी**
  - सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की एक रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 1.7 मिलियन किफायती आवास इकाइयों की कमी है, जिससे मलिन बस्तियों और अनौपचारिक बस्तियों में वृद्धि हुई है।
- **स्वास्थ्य समस्याएं**
  - इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) के एक अध्ययन के अनुसार, वायु प्रदूषण हर साल भारत में 1.2 मिलियन अकाल मौतों के लिए जिम्मेदार है, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में वायु प्रदूषण की महत्वपूर्ण समस्याएं हैं।
- **शिक्षा**
  - शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ASER) के अनुसार, उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में केवल 28.4% बच्चे ही अपने ग्रेड स्तर पर पढ़ सकते हैं।
- **गरीबी**
  - आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश में भारत में शहरी गरीबों की संख्या सबसे अधिक है, जहां 4 मिलियन से अधिक लोग झुग्गियों और अनौपचारिक बस्तियों में रहते हैं।
- **अन्य समस्याएं**
  - शहरी फैलाव, आवास और मलिन बस्तियों का विस्तार, भीड़ और व्यक्तिवाद की भावना, पानी की आपूर्ति और जल निकासी का बेहतर न होना, शहरी बाढ़, बिजली की कमी, अपराध और बाल अपराध, भीख, शराब और ड्रग्स की समस्या, भ्रष्टाचार आदि समस्याएं है

शहरी क्षेत्र के विकास के लिए चलाये जा रहे कार्यक्रम एवं योजनायें

- **प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)-शहरी**
  - भारत सरकार द्वारा जून, 2015 मे सभी शहरी क्षेत्रों हेतु आवास योजना का शुभारम्भ किया गया
  - जिसका मुख्य उद्देश्य सबके लिए आवास उपलब्ध कराना है। यह योजना **सभी शहरों में लागू** की गयी है।
  - इस योजना के क्रियान्वयन हेतु **हुडको एवं नेशनल हाउसिंग बैंक** को नोडल एजेंसी के रूप में अधिकृत किया गया है चूँकि यह योजना माननीय प्रधानमंत्री की एक महत्वाकांक्षी योजना हैं।
  - इस योजना का लक्ष्य 2022 तक शहरी गरीबों को किफायती आवास प्रदान करना है।
  - इस योजना के तहत, सरकार पात्र लाभार्थियों को घर बनाने या खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

- **स्मार्ट सिटी मिशन**
  - स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य आधुनिक बुनियादी ढांचा, कुशल सार्वजनिक सेवाएं और सतत शहरी विकास प्रदान करके भारत के 100 शहरों को स्मार्ट शहरों में बदलना है।
  - स्मार्ट सिटी मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के नौ शहर हैं, जिनमें वाराणसी, लखनऊ और कानपुर शामिल हैं।
- **अमृत (कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन)**
  - अमृत योजना का उद्देश्य भारत के 500 शहरों में बुनियादी शहरी बुनियादी ढांचे जैसे कि पानी की आपूर्ति, सीवरेज और जल निकासी व्यवस्था में सुधार करना है।
  - अमृत योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 61 शहर हैं।
- **स्वच्छ भारत अभियान-शहरी**
  - स्वच्छ भारत अभियान-शहरी शहरों को स्वच्छ और स्वच्छ बनाने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया स्वच्छता अभियान है।
  - इस योजना के तहत, सरकार का लक्ष्य 100% डोर-टू-डोर कचरा संग्रह, 100% प्रसंस्करण और ठोस कचरे का निपटान और खुले में शौच मुक्त शहरों को प्राप्त करना है।
- **मुख्यमंत्री आवास योजना**
  - मुख्यमंत्री आवास योजना एक राज्य स्तरीय योजना है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में शहरी गरीबों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है। योजना के तहत, पात्र लाभार्थियों को घर बनाने या खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- **शहरी परिवहन**
  - उत्तर प्रदेश सरकार यातायात की भीड़ को दूर करने और सार्वजनिक परिवहन में सुधार के लिए शहरी परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए निवेश कर रही है।
  - पहल में ल**खनऊ और आगरा जैसे शहरों में मेट्रो रेल सिस्टम** का निर्माण और कई शहरों में बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का विकास शामिल है।
- **जल जीवन मिशन**
- **राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन**

जनजातियाँ एवं उनकी समस्याएँ

- जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल जनजातियों की संख्या 11,34,273 है।
- संविधान के अनुच्छेद 342 में जनजातियां उल्लेखित हैं।
- सबसे ज्यादा जनसंख्या **थारू जनजाति** की है।
- उत्तर प्रदेश में **कुल 12 जनजातियां** हैं।
- **सबसे पुरानी** जनजाति **थारू तथा बुक्सा** है।
- सबसे ज्यादा **जनजाति सोनभद्र जनपद में तथा सबसे कम जनजाति बागपत** में हैं।

जनजातियों का विवरण

- अनेकता में एकता ही भारतीय संस्कृति है और उस अनेकता के मूल में निश्चित रूप से भारत के विभिन्न प्रदेशों में स्थित जनजातियां है।
- भारत की जनजातियां विभिन्न क्षेत्रों में रहते हुये अपनी संस्कृति के माध्यम से भारतीय संस्कृति को एक विशिष्ट के रूप में अपना योगदान प्रदान करती हैं।
- चूंकि अनेको जनजातियां होने के कारण उनकी संस्कृति में भी भिन्नता पायी जाती है।
- जनजाति वह सामाजिक समुदाय है जो राज्य के विकास के पूर्व अस्तित्व में था।
- जनजाति वास्तव में भारत के आदिवासियों के लिए उपयोग होने वाला एक वैधानिक पद है।
- भारत के संविधान मे अनुसूचित जनजाति पद का प्रयोग भी हुआ है और इनके लिए विषेश प्रवधान लागू किये गये है।
- भारत की कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या का **1.09 प्रतिशत उ0प्र0 में** पायी जाती है,
- उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत (2011 की जनगणना एक के अनुसार) 0.06 प्रतिशत है,
- उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति के संविधान आदेश (अनुसूचित जनजातियां), 1967 के अनुसार **05 जनजातियों, बुक्सा, जौनसारी, भोटिया, थारू एवं राजी को अनुसूचित जनजाति** का दर्जा दिया गया है, परन्तु **2003 में 10 और जनजातियों** को इसमें शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश में विभिन्न जनजाति पायी जाती है—

उत्तर प्रदेश की जनजाति

जनजाति	विवरण
अगरिया	• **क्षेत्र**- मिर्जापुर • **भाषा-** हिंदी, अगरिया भाषा और छत्तीसगढ़ी
अहेरिया	• उर्फ अहेरी, अहेरिया, अहिरिया, बहेलिया, बहेलिया, हर्बी, बेटा, हेरी, हर्षी, करवाल, हेसी, करबल, थोरी, नाइक या तुरी आदि। • मुख्य रूप से हिंदी बोलते है क्योंकि वे **हिंदू धर्म** के अनुयायी हैं।
बैगा	• जंगल में **'स्थानांतरण खेती'** / दहिया की खेती का अभ्यास करना। • **टैटू बनवाना** उनकी लाइफस्टाइल का अहम हिस्सा है। • अर्ध-खानाबदोश जीवन व्यतीत करते है।

बेलदार	• क्षेत्र - लखीपुर, बाराबंकी, गोंडा, खारी, गोरखपुर, गिंडा, सीतापुर, फैजाबाद आदि। • एक व्यावसायिक जाति और उनका **पारंपरिक व्यवसाय बेलदारी** का है।
बिंद जनजाति	• अन्य पिछड़ी जाति से सम्बंधित हैं। • भारत के मध्य भाग में स्थित विंध्य पहाड़ियों से उत्पन्न। • मुख्य व्यवसाय - **ईख** की **चटाई बनाना** • भाषाएँ - अवधी और भोजपुरी • **हिंदू धर्म** का अभ्यास करते है और उसके रीति-रिवाजों का पालन करते है।
चेरो	• दक्षिणपूर्वी उत्तर प्रदेश - कोल और भर, मुजफ्फरपुर से इलाहाबाद • मुख्य रूप से **कृषि** और **पशुपालन** में शामिल है। • साथ ही बाजार में बिकने के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध **महुआ फूल** को भी इकट्ठा करते है। • अंतर्विवाही नहीं होते।
घसिया	• एक हिंदू जाति। • **अनुसूचित जाति** का दर्जा रखते हैं और **उत्तर प्रदेश** में पाए जाते हैं। • क्षेत्र - सोनभद्र और मिर्जापुर • कबीले से **बहिर्विवाह** का सख्ती से पालन करते है। • भाषा - **बुंदेलखंडी बोली** में हिंदी।
कंजर	• उर्फ मारवाड़ी कुमार, बंछड़ा और नाथ। • मुख्य व्यवसाय - **शिकार।** • **हिंदू धर्म** और सिख धर्म का पालन करते है और ये सभी समुदाय देवताकी पूजा करते हैं।
केवट	• पारंपरिक रूप से उत्तर भारत के **नाविक।** • चारघाट पंचायत द्वारा नियंत्रित जो अवध के क्षेत्र को कवर करती है। • इलाहाबाद क्षेत्र **बाराघाट पंचायत** के अंतर्गत आता है।
खैराह	• हिंदू जाति जिसे **अनुसूचित जाति** का दर्जा प्राप्त है। • जिले - इलाहाबाद और मिर्जापुर • **हिंदी** भाषा में संवाद करते है। • **कृषि**, **मछली** पकड़ने और **पशुपालन** करते है।
खरोट	• एक अंतर्विवाही उपसमूह जिसे **अनुसूचित जाति** की उपाधि मिली है। • मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में पाया जाता है। • इनमें से ज्यादातर **खेतिहर मजदूर** हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं है।
कोल	• इलाहाबाद, वाराणसी, बांदा और मिर्जापुर जिले • उत्तर प्रदेश की **सबसे बड़ी** जन**जा**ति। • **हिंदू धर्म** के अनुयायी और बघेलखंडी बोली में बोलते हैं। • कोई जमीन नहीं है और आय के लिए जंगल पर निर्भर है।
कोरवा	• आर्थिक और सामाजिक रूप से **गरीब समुदाय।** • अलग-थलग जनजातियाँ और उनमें से अधिकांश **शिकारी संग्रहकर्ता** हैं। • स्थायी कृषि करते है और हिंदू समुदाय का हिस्सा हैं। • अपनी मातृभाषा कोरवा में संवाद करते है जिसे वैकल्पिक रूप से **सिंगली** और **एरंगा** के नाम से भी जाना जाता है।
कोतवार	• वे **गाँव** के **पहरेदार** थे और कहा जाता है कि इस आधार उन्हें यह नाम मिला है। • अब हिंदू जाति का एक हिस्सा और मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में पाए जाते हैं। • वनाच्छादित और उतर चढाव वाले इलाकों में निवास करते है और इन्हें **अनुसूचित जाति** का दर्जा प्राप्त है। • मध्यम और छोटे आकार के किसान जो वर्तमान समय में कृषि करते हैं।
पणिका/पंक	• **पंखो** केनिर्माण में शामिल और इसलिए उनके नाम की उत्पत्ति हुई।

	• **मिर्जापुर** और **सोनभद्र** के क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
परहिया	• **हिंदू धर्म** के अनुयायी • **स्लैश एंड बर्न कृषि** तकनीक से खेती करते है। • हिंदी की एक बोली बोलते है।
पटारी	• सोनभद्र में • मूल रूप से **गोंड आदिवासी** जिन्होंने गोंड राजाओं को सलाह दी और अनुष्ठानों में भी विशेषज्ञता हासिल की। • **हिन्दी** में संवाद करते है। • **कृषि**, **बटाईदारी** और **पशुपालन** भी करते है।
पथारकट/संगतरशी	• शाब्दिक अर्थ - **पत्थर काटने वाला** • लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई और उन्नाव में प्रमुख रूप से स्थित है। • आपस में **घियारई** में संवाद करते है और बाहरी लोगों से **हिंदी** में बात करते है।
सहरिया	• यह अनुसूचित जाति **बुंदेलखंड क्षेत्र** में पायी जाती है। • उर्फ **बनारावत**, **रावत**, **सोरेन** और बनारखा। • पारंपरिक व्यवसाय - **शहद इकट्ठा** करना, **लकड़ी** काटना, **खनन** करना, **टोकरियाँ** बनाना, पत्थर तोड़ना आदि।

थारू जनजाति

- थारू अपने को मूलतः सिसोदिया वंशीय राजपूत कहते है।
- थारूओं के कुछ वंशगत उपाधियां (सरनेम) है।, राणा, कथरियां, चौधरी।
- कुछ समय पूर्व तक थारू अपना वंशानुक्रम महिलाओं की ओर से खोजते थे।
- इनमें मंगोलीय तत्वों की प्रधानता होते हुए भी अन्य भारतीयों से साम्य के लक्षण पाये जाते है
- आखेट, मछली मारना, पशुपालन एवं कृषि इनके जीवनयापन के प्रमुख साधन है।
- टोकरी तथा रस्सी बुनना सहायक धन्धों में शामिल है।
- टर्नर (1931) के मत से विगत थारू समाज **दो अर्द्धांशों में बंटा** था जिनमें से प्रत्येक के छह गोत्र होते थे।
- दोनो अर्द्धांशों में पहले तों **ऊंचे अर्धांशें में नीचे अर्धांश की कन्या का विवाह** नहीं होता था पर धीरे—2 दोनों अर्द्धांश अंतरर्विवाही हो गये "काज" ओर "डोला" आर्थात वधूमूल्य और कन्यापहरण पद्धति से विवाह थारूओं में भी सांस्करिक विवाह होने लगे है।
- विधवा द्वारा देवर से या अन्य अविवाहित पुरूष से विवाह इनके समाज में मान्य है।
- अपने गोत्र में भी यह विवाह कर लेते है।
- थारू में **सगाई को "दिखनौरी" तथा गौने की रस्म को "चाला"** कहते है।
- थारू **नेपाल और भारत के सीमावर्ती तराई क्षेत्र** में पायी जाने वाली एक जनजाति है।
- नेपाल की सकल जनसंख्या का **लगभग 6.6 प्रतिशत लोग थारू** है।
- भारत में बिहार के चम्पारन जिले में और उत्तराखण्ड के नैनीताल और उधम सिंह नगर में थारू पाये जाते है।
- थारूओं का मुख्य निवास स्थान जलोढ़ मिट्टी वाला हिमालय का सम्पूर्ण उपपर्वतीय भाग तथा उत्तर प्रदेश के उत्तरी जिले वाला तराई प्रदेश है।
- यह उत्तर प्रदेश की **सबसे बड़ी** जनजाति है|
- थारू जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के **गोरखपुर के तराई भाग** में निवास करते है
- थारू जनजाति के लोग **किरात वंश** से सम्बंधित है
- थारुओ द्वारा **बजहर नामक त्यौहार** मनाया जाता है
- **दीपावली को ये शोक पर्व** के रूप में मनाते है ,
- थारू जनजाति द्वारा **होली के मौके पर खिचड़ी नृत्य** किया जाता है
- थारू जनजाती के लोगो में **बदला विवाह प्रथा तथा तीन टिकठी विवाह** प्रथा प्रचलित है ,
- थारुओ में दोनों पक्षो से विवाह तय हो जाने को **पक्की पोड़ी** कहा जाता है
- उत्तर प्रदेश में **2 अक्टूबर 1980 को थारू विकास परियोजना** का प्रारंभ किया गया

गौंड/गोंड जनजाति

- यह सबसे पुरानी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है।
- उत्तर प्रदेश में **सर्वाधिक जनसँख्या वाली** जनजाति है
- इसका संबंध रावण खानदान से है।
- धुरिया, पठारी , राजगोंड (1) वाराणसी (2) सोनभद्र (3) मिर्जापुर (4) जौनपुर (5) मऊ (6) बलिया (7) देवरिया (8) गोरखपुर (9) आजमगढ़ (10) सिद्धार्थनगर (11) महराजगंज (12) बस्ती (13) गाजीपुर आदि शहरों में यह जनजाति पाई जाती है।

बुक्सा अथवा भोक्सा जनजाति

- उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में छोटी-छोटी ग्रामीण बस्तियों में निवास करती है।
- बुक्सा जनजाति की पंचायत के **सर्वोच्च व्यक्ति को तखत** कहा जाता है
- उत्तर प्रदेश में **बुक्सा जनजाति विकास परियोजना 1983-84** में प्रारंभ की गयी

- बुक्सा लोग प्रमुख रूप से हिन्दी भाषा बोलते हैं। इनमें जो लोग लिखना-पढ़ना जानते हैं वे देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं।
- बुक्सा पुरुषों की **वेशभूषा** में धोती, कुर्ता, सदरी और सिर पर पगड़ी धारण करते हैं।
- नगरों में रहने वाले पुरुष गाँधी टोपी, कोट, ढीली पेन्ट और चमड़े के जूते, चप्पल आदि पहनते हैं।
- स्त्रियाँ पहले गहरे लाल, नीले या काले रंग की छींट का ढीला लहंगा पहनती थीं और चोली (अंगिया) के साथ ओढ़नी (चुनरी) सिर पर पहनती थीं, लेकिन अब स्त्रियों में साड़ी, ब्लाउज, स्वेटर एवं कार्डीगन का प्रचलन सामान्य हो गया है।
- बुक्सा जनजाति के लोगों का **कद और आँखें छोटी** होती हैं। उनकी **पलकें भारी, चेहरा चौड़ा एवं नाक चपटी** होती है।
- इसमें रक्त सम्बन्ध में विवाह वर्जित है

खरवार जनजाति

- उत्तर प्रदेश के **मिर्जापुर, वाराणसी, सोनभद्र, गाजीपुर, बलिया, देवरिया** जिले में निवास करती है।
- इनका मूल क्षेत्र बिहार का पलामू और अठारह हजारी क्षेत्र है।
- इस जनजाति की **उपजातियां** - सूरजवंशी, पत्बन्धी, दौलतबंधी, खेरी, मौगति, आर्मिया है
- इनके **प्रमुख देवता** -बधउस, वनसंती, दुल्हादेव, घमसान, गोरइया आदि है
- जाति के लोग साधारणतः टेहुन तक धोती, बंडी एवं सिर पर पगड़ी पहनते हैं तथा स्त्रियाँ साड़ी पहनती हैं।
- इनके **आभूषणों में** हैकल, हँसुली, बाजूबन्द, कड़ा, नथिनी, बरेखा, गुरिया या नँगा की माला आदि मुख्य हैं।
- खरवार जनजाति मुख्यतः हिन्दू धर्म के रीति रिवाजों का पालन करती है।
- खरवार जनजाति के लोग माँसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के होते हैं।
- खरवार जनजाति का प्रमुख **नृत्य करमा** है
- खरवार जनजाति के लोग **मुख्यतः सोनभद्र** जिले में निवास करते है
- इनकी प्ररंभिक आर्थिक गतिविधि कृषि रही है। एक ही वार्षिक फसल और उपयुक्त मौसम पर उनकी निर्भरता के कारण खुद को बनाये रखने के लिए पशुपालन, मछली पकड़ना, शिकार आदि काम में संलग्न होते है।
- ये लोग हिन्दू धर्म के अनुसार रीति-रिवाज का पालन करते है। इनके प्रमुख पर्व जिउतिया, अनन्त चतुर्दशी, नवरात्रि होली आदि है।
- इस जनजाति के लोगों का भोजन **मंसाहारी एवं शकाहारी दोनो** होता है।
- ये लोग मुख्यतः **गेहूँ और चावल का** भोजन करते है।

माहीगिरी जनजाति

- इस जनजाति लोग मुख्यतः **बिजनौर जिले में** निवास करते है। इसके अलावा सहारनपुर, जलालाबाद, किरतपुर, मनेरा एवं मण्डवार में भी निवास करते है।
- महाभारत में इस जनजाति का उल्लेख मिलता है
- इस जनजाति के लोगो का **मुख्य व्यवसाय मछली पालन** है एवं इसके साथ-साथ शिकार भी करते है।
- महीगिरी जनजाति के लोग एक विशेष प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते है, जो खड़ी बोली से मिलती जुलती है।
- ये लोग खुद को इस्लाम के अनुयायी मानते है तथा **अपने समुदाय में ही विवाह करते** है।
- इस जनजाति का मुख्य भोजन के रूप में **मांस का प्रयोग** करते है।
- इस जनजाति का सामाजिक संगठन अति सरल होता है ये लोग अपनी आवश्यताओं की पूर्ति हेतु स्वयं साधन उपलब्ध करते है।
- इस जनजाति में शिक्षा का काफी अभाव है।

प्रदेश की जनजातियों की समस्याएं

जंगल से जुड़ी समस्याएँ

- जंगलों में जहाँ आदिवासी पहले रहते थे वे शिकार करते थे, कारीगरी के काम करते थे। वहाँ आज अदिवासी जंगल से कुछ बना नहीं सकते।
- आज जंगल में कई आदिवासी रहते हैं परन्तु वे जंगल की लकड़ी का प्रयोग नहीं कर सकते।
- जंगल में वे आर्थिक गतिविधियाँ भी नहीं कर सकते ।
- खरवार जनजाति जंगलों में ही निवास करती थी एवं जंगल पर ही आश्रित थी अब इनके पास न तो कृषि योग्य भूमि है और न ही वनों का संरक्षण

भूमि अलगाव

- ब्रिटिश काल से लेकर आदिवासियों की भूमि को रेल, आवासीय बस्तियों, बाज़ार, अस्पताल आदि के लिए लिया जाता रहा है।
- बाहरी लोगों ने आदिवासियों की जमीन को जब चाहा तब खरीदा है। इस भाँति आदिवासियों की जमीन गैर-आदिवासियों के हाथ में चली गयी।
- यहाँ की तराई क्षेत्र की थारु और भोक्सा जनजातियां भूमि अलगाव या हस्तांतरण से सर्वाधिक प्रभावित हुई है
- माहीगिर जनजाति के लोग परम्परगत रूप से मछुआरे थे लेकिन नगरों ,उपनगरो के कारण तालाब नहीं रहे

ऋणग्रस्तता और बंधुआ मजदूरी

- उत्तर प्रदेश की जनजातियों में ऋण ग्रस्तता गम्भिर समस्या है
- दिहाड़ी की रकम से ही आदिवासी परिवार अपना जीवन यापन करते हैं लेकिन एक मजदूर की हैसियत से उन्हें सालभर रोजगार नहीं मिलता।

- परिणामस्वरूप वे अपना जीवन यापन ठीक तरह से नहीं कर पाते।
- उन्हें महाजन से ऊँचे ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता है। जब ये आदिवासी ऋण चुकाने में असफल रहते हैं, तब वे बंधुआ मजदूर बन जाते हैं।

स्वास्थ्य और पोषण की समस्या

- जब अनुसूचित जनजातियों को शिकार और पोषण नहीं मिलता वे परिवार के सदस्यों के साथ ठीक तरह से नहीं रह पाते। ऐसी अवस्था में ये आदिवासी भूखमरी की अवस्था में पहुँच जाते हैं।
- जिस पर्यावरण में वे रहते हैं, वह भी अस्वास्थ्यप्रद है, इसका असर उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ता है।
- यहाँ के लोग अपनी बीमारी को दूर करने के लिए ओझाओं की सहायता लेते हैं।
- पर्याप्त धन के अभाव में वे अस्पताल में अपना इलाज नहीं करवा पाते।

संचार का अभाव

- आदिवासी दूर-दराज क्षेत्रों में रहते हैं इसलिए सबसे बड़ी समस्या अपनी बात दूर तक पहुँचाने की है। आदिवासियों के स्वयं के कल्याण की जानकारी उन्हें नहीं होती।
- वे इस बात से अपरिचित रहते हैं कि उनके लिए कौन से कार्यक्रम लाभदायक हैं।

स्थानान्तरण के प्रभाव

- आदिवासियों को अपने ही राज्य में और राज्य से बाहर काम करने की समस्या होती है।
- जब वे शहरों में काम करने जाते हैं तब ईंट के भट्टे, छोटे उद्योग और दिहाड़ी पर काम करते हैं। स्थानान्तरित श्रमिक की तरह उन्हें दबाया जाता है, उनका शोषण होता है।
- न्यूनतम दिहाड़ी अधिनियम के अनुसार, उन्हें पगार नहीं मिलती। उन्हें नियम के विरुद्ध लम्बे समय तक काम करना पड़ता है।

शिक्षा का अभाव

- बहुत बड़ी संख्या में आदिवासी परिवारों को अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई करनी पड़ती है, उनके लिए शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण रोटी का जुगाड़ करना है।
- सरकार ने उनके लिए आश्रम स्कूल खोले हैं लेकिन वे इन स्कूलों में अपने बच्चों को भर्ती नहीं करवा सकते।
- इन स्कूली बच्चों को अपने घर में भी काम करना पड़ता है और इस तरह वे स्कूल में पढ़ नहीं सकते।
- इन परिवारों में **स्त्री अशिक्षा बहुत अधिक** होती है।
- धर्मान्तरित आदिवासियों में साक्षरता और शिक्षा अधर्मान्तरित परिवारों की तुलना में अधिक होती है।

आदिवासियों का विस्थापन

- कई औद्योगिक शहरों जैसे- रांची, बोकारो, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई, राऊरकेला आदि को बसाने के लिए आदिवासियों से उनकी जमीन लेकर उन्हें विस्थापित कर दिया गया।
- उन्हें केवल निवास के लिए मुआवजे के रूप में पैसा दिया गया। इसका परिणाम भी सही नहीं निकला।
- कुछ परिवार समाप्त हो गये तो कुछ दुखी जीवन बिता रहे हैं।

पहचान की समस्या

- ब्रिटिश युग से लेकर आदिवासी अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं।
- उन्होंने जागीरदारों, जमींदारों और ब्रिटिश राज के खिलाफ आंदोलन चलाये हैं।
- आजादी की लड़ाई (1857) में आदिवासियों ने आंदोलन किये हैं।

अनुसूचित जनजातियों के लिये भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए बुनियादी सुरक्षा उपाय

- भारत का संविधान 'जनजाति' शब्द को परिभाषित करने का प्रयास नहीं करता है, हालाँकि, अनुसूचित जनजाति शब्द को संविधान में **अनुच्छेद 342 (i) के** माध्यम से जोड़ा गया था।
- यह निर्धारित करता है कि 'राष्ट्रपति, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा, जनजातियों या जनजातीय समुदायों या जनजातियों या जनजातीय समुदायों या भागों के कुछ हिस्सों या समूहों को निर्दिष्ट कर सकते हैं, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिये अनुसूचित जनजाति माना जाएगा।
- **संविधान की पाँचवी अनुसूची** अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य में एक जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना का प्रावधान करती है ।

शैक्षिक और सांस्कृतिक सुरक्षा उपाय

- **अनुच्छेद 15(4):** अन्य पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिये विशेष प्रावधान (इसमें अनुसूचित जनजाति शामिल हैं)
- **अनुच्छेद 29:** अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण (इसमें अनुसूचित जनजाति शामिल हैं)
- **अनुच्छेद 46:** राज्य लोगों के कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष देखभाल के साथ बढ़ावा देगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के सामाजिक अन्याय से उनकी रक्षा करेगा। शोषण।
- **अनुच्छेद 350:** विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण का अधिकार,

राजनीतिक सुरक्षा उपाय

- **अनुच्छेद 330 :** लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिये सीटों का आरक्षण
- **अनुच्छेद 332:** राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिये सीटों का आरक्षण
- **अनुच्छेद 243:** पंचायतों में सीटों का आरक्षण

प्रशासनिक सुरक्षा

- **अनुच्छेद 275:** यह अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने और उन्हें बेहतर प्रशासन प्रदान करने के लिये केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को विशेष निधि प्रदान करने का प्रावधान करता है।

जनजाति विकास विभाग उत्तर प्रदेश

- वर्ष 1984-1985 तक इन अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक उत्थान के विभिन्न कार्यक्रम/योजनाओं को समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जाता था, तत्पश्चात् जनजाति विकास निदेशालय द्वारा किया जा रहा है।
- **जनजाति विकास विभाग के प्रमुख कार्य एवं भूमिका निम्न प्रकार हैं:-**
    - गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जनजाति परिवारों को व्यवसायिक जीवन पद्धति का आंकलन कर उनके लिए आर्थिक उन्नति हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना।
    - अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्तर को बढ़ावा देना।
    - अनुसूचित जनजातियों हेतु मानव संसाधन विकास संबंधी योजनाओं को क्रियान्वित कर रोजगार के अवसर सुलभ कराना।
    - अनुसूचित जनजातियों को समाज की मुख्य सामाजिक, आर्थिक धारा में समाहित करना तथा गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना।
    - अनुसूचित जनजातियों को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक शोषण से सुरक्षा प्रदान करना।
    - शिक्षा के स्तर पर सुधार एवं साक्षरता दर वृद्धि हेतु छात्रवृत्ति, जय प्रकाश सर्वोदय विद्यालय एवं छात्रावासों का संचालन, तकनीकी शिक्षा, कुशल कारीगरी, शिल्प उद्योग के क्षेत्र में प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रमों का समावेश तथा स्वतः रोजगार के अवसरों में वृद्धि हेतु कार्यक्रमों का संचालन करना।

जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित योजना

<u>छात्रवृत्ति वितरण योजना</u>

- पूर्वदश छात्रवृत्ति
- दशमोत्तर छात्रवृत्ति
- राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय का संचालन
- एकलव्य माडल आवासीय विद्यालयों का संचालन
- अत्याचार से उत्पीड़ित अनुसूचित जनजाति के परिवारों को सहायता
- अनुसूचित जनजातियों की छात्राओं हेतु यूनीफार्म एवं बाइसिकिल योजना
- शादी अनुदान योजना
- पाकेट प्लान तथा प्रिमिटिव ग्रुप्स योजना
- छात्रावास

<u>जनजातियों से संबंधित सरकारी पहल</u>

- एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय
- भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (TRIFED):
    - TRIFED का गठन वर्ष 1987 में जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्त्वावधान में राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में किया गया।
    - इसे बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के तहत पंजीकृत गया था।
    - इसने अपने कार्यों की शुरुआत वर्ष 1988 में नई दिल्ली स्थित मुख्य कार्यालय से की।
    - **उद्देश्य:** जनजातीय लोगों का सामाजिक-आर्थिक विकास, आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना, ज्ञान, उपकरण और सूचना के साथ जनजातीय लोगों का सशक्तीकरण एवं क्षमता निर्माण करना।
    - **कार्य:** यह मुख्य रूप से दो कार्य करता है पहला-लघु वन उपज (Minor Forest Produce (MFP) विकास, दूसरा खुदरा विपणन एवं विकास (Retail Marketing and Development) हैं।
- जनजातीय स्कूलों का डिजिटल परिवर्तन
- विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास
- प्रधानमंत्री वन धन योजना

2 CHAPTER उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन

स्थानीय स्वशासन

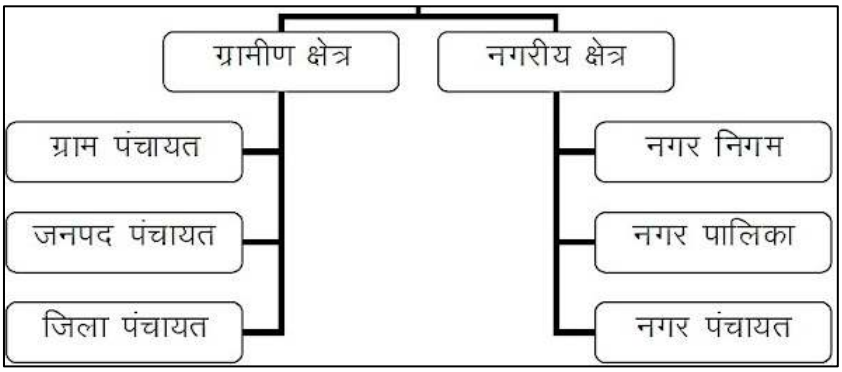

- भारत में केन्द्र व राज्य सरकारों के अतिरिक्त, तीसरे स्तर पर एक ऐसी सरकार है। जिसके सम्पर्क में नगरों और ग्रामों के निवासी आते हैं। इस स्तर की सरकार को **स्थानीय स्वशासन कहा** जाता है,
- क्योंकि यह व्यवस्था स्थानीय निवासियों को अपना शासन-प्रबन्ध करने का अवसर प्रदान करती है।
- इसके अन्तर्गत मुख्यतया **ग्रामवासियों के लिए पंचायत और नगरवासियों के लिए नगरपालिका** उल्लेखनीय हैं।
- इन संस्थाओं द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति तथा स्थानीय समस्याओं के समाधान के प्रयास किये जाते हैं। व्यावहारिक रूप में वे सभी कार्य जिनका सम्पादन वर्तमान समय में ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों, नगर पालिकाओं, नगर निगम आदि के द्वारा किया जाता है, वे स्थानीय स्वशासन के अन्तर्गत आते हैं।

स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता एवं महत्त्व

- लोकतान्त्रिक परम्पराओं को स्थापित करने में सहायक
- भावी नेतृत्व का निर्माण करने में सहायक
- जनता और सरकार के पारस्परिक सम्बन्ध
- स्थानीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था के बीच की कड़ी का काम करती है
- प्रशासकीय शक्तियों का विकेन्द्रीकरण करने में सहायक होती है
- नागरिकों को निरन्तर जागरूक बनाये रखने में सहायक होती है
- लोकतान्त्रिक परम्पराओं के अनुरूप कार्य करती है
- नौकरशाही की बुराइयों की समाप्ति – नागरिकों की प्रत्यक्ष भागीदारी से प्रशासन में नौकरशाही, लालफीताशाही तथा भ्रष्टाचार जैसी बुराइयाँ उत्पन्न नहीं होती हैं।
- प्रशासनिक अधिकारियों की जागरूकता – स्थानीय लोगों की शासन में भागीदारी के कारण प्रशासन उस क्षेत्र की आवश्यकताओं के प्रति अधिक सजग तथा संवेदनशील हो जाता है।
- उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि स्थानीय स्वशासन लोकतन्त्र का आधार है। यह लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया पर आधारित है। यदि प्रशासन को जागरूक तथा अधिक कार्यकुशल बनाना है तो उसका प्रबन्ध एवं संचालन स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप स्थानीय संस्थाओं के द्वारा ही सम्पन्न किया जाना चाहिए।

उत्तर प्रदेश में पंचायती राज शासन

- **पंचायती राज विभाग** की **स्थापना 1948** में **उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947** के तहत स्थापित **ग्राम पंचायतों** के कामकाज के **मार्गदर्शन**, **विनियमन** और **निगरानी** की **जिम्मेदारी** के साथ की गई थी।
- **मध्यवर्ती** और **जिला** स्तर पर **स्थानीय ग्रामीण निकायों** की बढ़ी हुई **भूमिका** को **सुनिश्चित** करने के लिए, उत्तर प्रदेश **क्षेत्र पंचायत** और **जिला पंचायत अधिनियम 1961** के **अधिनियमन** के साथ **क्षेत्र पंचायतों** और **जिला पंचायतों** को **जोड़ा** गया।
- **राज्य** में **75 जिला पंचायतें** (जिला पंचायतें), **821 क्षेत्र पंचायतें** (मध्यस्थ पंचायतें) और **51,914 ग्राम पंचायतें** (ग्राम पंचायतें) हैं।
- **पंचायती राज मंत्रालय नीति निर्माण** के पूरे दायरे और **पंचायती राज संस्था** और **प्रशासनिक कार्यों** से संबंधित **मामलों** को **देखता** है।
- राज्य में **पंचायतों** की **सहायता** के लिए, सरकार ने **निम्नलिखित कार्यालय** बनाए हैं:
  - राज्य स्तरीय
  - पंचायती राज निदेशालय
  - जिला पंचायत निगरानी प्रकोष्ठ

निदेशक पंचायती राज (लेखा)

- **मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी** (सहकारिता एवं पंचायत)
- **संभाग स्तर** : संभागीय उप निदेशक (पंचायत)
- **जिला स्तर :**
  - जिला पंचायती राज अधिकारी
  - अपार मुखिया अधिकारी (जिला पंचायत)
- **ब्लॉक स्तर** : सहायक विकास अधिकारी (पंचायत)
- **ग्राम पंचायत स्तर**: सचिव (ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी)
- **पंचायती राज विभाग** राज्य चुनाव आयोग (**एसईसी**) की **संस्था** के **प्रशासनिक विभाग** के रूप में भी कार्य करता है।

पंचायती राज विभाग की नीति

- **पंचायती राज** और **विभाग** के **कामकाज दो राज्य पंचायत अधिनियमों** द्वारा **शासित** होते हैं।
  - यूपी पंचायती राज अधिनियम 1947
  - यूपी क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1961।
- दो **राज्य पंचायत अधिनियमों** के अनुसार एक **त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था** इस प्रकार है:
  - जिला स्तर पर **जिला पंचायत**
  - मध्यवर्ती (ब्लॉक) स्तर पर **क्षेत्र पंचायत**
  - ग्राम स्तर पर **ग्राम पंचायत**
- **1995** से **राज्य चुनाव आयोग** के अधीक्षण में **5 साल के नियमित अंतराल** पर **चुनाव** होते रहे हैं।
- **पिछला आम चुनाव** साल **2010** में हुआ था।
- **राज्य वित्त आयोगों** का **गठन 1994** से हर पांच साल में **पंचायतों** के **कर आधार** को बढ़ाने और **पंचायतों** और **स्थानीय निकायों** के बीच **राज्य शुद्ध कर प्राप्तियों** के **आवंटन** के **तरीकों** और **साधनों** की **सिफारिश** करने के लिए किया जाता है।
- **चौथा राज्य वित्त आयोग** दिसंबर **2011** में **गठित** किया गया था।
- **अनुसूचित जाति/**अनुसूचित **जनजाति** के लिए उनकी **जनसंख्या** के **अनुपात** में **आरक्षण**
- **अन्य पिछड़ा आयोग** को अधिकतम **27% आरक्षण** दिया जाता है।
- **महिलाओं** को **पंचायत** के **सदस्यों** की **कुल संख्या** सहित प्रत्येक श्रेणी में **1/3 आरक्षण** दिया जाता है।
- **ग्राम पंचायत** (एक निर्वाचित प्रधान (अध्यक्ष) और विभिन्न वार्ड सदस्यों से बनी) स्तर के **चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार** के माध्यम से **ग्राम पंचायत** का **चुनाव** करने के लिए होते हैं।
- **ग्राम सभा** - ग्राम स्तर की सबसे **शक्तिशाली संस्था। ग्राम सभा** में **ग्राम पंचायत क्षे**त्र के **18 वर्ष** की **आयु** प्राप्त करने वाले सभी **निवासी** और **ग्राम पंचायत** के **प्रधान ग्राम सभा** के **अध्यक्ष** के रूप में **शामिल** होते हैं।
- **आगामी वर्ष** का **बजट** और **पिछले वर्ष** में किए गए **कार्यों** को **ग्राम सभा** की **बैठकों** में **चर्चा** और **अनुमोदन** के लिए **रखा** जाता है जो वर्ष में दो बार **खरीफ** और **रबी फसलों** की **कटाई** के बाद अनिवार्य रूप से **आयोजित** की जाती हैं।
- ग्राम सभा की बैठक में **समस्त योजनाओं** एवं **विभिन्न विभागों** के **हितग्राहियों** की **सूची** भी **प्रस्तुत** की जाती है
- इसी तरह **क्षेत्र पंचायत** और **जिला पंचायत** भी अपने **अधिकार क्षेत्र** में आने वाली **गतिविधियों** को करते हैं।

पंचायतों द्वारा कार्यान्वित प्रमुख योजनाएं

योजना-1 निर्मल भारत अभियान (एनबीए)

- **भारत सरकार** द्वारा वर्ष **1999** में स्थापित।
- विशेष रूप से **ग्रामीण क्षेत्रों** के **लोगों** के बीच **स्वच्छता** के महत्व के बारे में लोगों में **जागरूकता** पैदा करने के लिए।
- **पहली परियोजना** जो विशेष रूप से **ग्रामीण भारत** के लिए बनाई गई **सुनियोजित** और **संरचित कार्यक्रम** के साथ **स्थापित** की गई थी।
- **समुदाय** के **नेतृत्व** में **पूर्ण स्वच्छता** (सीएलटीएस) **सिद्धांत** के तहत संसाधित।

योजना-2 राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान (आरजीपीएसए)

- **पंचायतों** और **ग्राम सभाओं** की **क्षमता** और **प्रभावशीलता** में **वृद्धि** करना;
- **पंचायतों** में **लोकतांत्रिक निर्णय** लेने और **जवाबदेही** सुनिश्चित करना ;
- पंचायतों के **ज्ञान सृजन** और **क्षमता निर्माण** के लिए **संस्थागत ढांचे** को **मजबूत** करना।
- संविधान की भावना के अनुसार **पंचायतों** को **शक्तियों** और **जिम्मेदारियों** के **हस्तांतरण** को **बढ़ावा** देना।

योजना-3 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ)

- **उद्देश्य** :
  - **स्थानीय बुनियादी** ढांचे और अन्य **विकास आवश्यकताओं** में **महत्वपूर्ण अंतराल** को **पाटना** जो **मौजूदा प्रवाह** के माध्यम से **पर्याप्त** रूप से **पूरा नहीं** किया जा रहा है।
  - **स्थानीय जरूरतों** को **प्रतिबिंबित** करने के लिए **उचित क्षमता निर्माण**, सहभागी **योजना**, **निर्णय** लेने, **कार्यान्वयन** और **निगरानी** की **सुविधा** के साथ **पंचायत** और **नगर पालिका** स्तर के **शासन** को मजबूत करना,

- **स्थानीय निकायों** को उनकी **योजनाओं** के **नियोजन**, **कार्यान्वयन** और **निगरानी** के लिए **व्यावसायिक सहायता प्रदान** करना
- **पंचायतों** को सौंपे गए **महत्वपूर्ण कार्यों** के **निष्पादन** और **वितरण** में **सुधार** करना।

योजना -4 राज्य वित्त आयोग (एसएफसी)

- **1994** में **पहले राज्य आयोग** का **गठन** हुआ।
- **चौथे एसएफसी** का **गठन दिसंबर 2011** में किया गया था।
- **पंचायती राज संस्थाओं** के **कर आधार** को **बढ़ाने** के उपाय सुझाना ताकि **पंचायत** के **राजस्व** में आय के **नए स्रोत** जुड़ सकें।
- **आयोग विभाज्य पूल** में **स्रोतों** का भी अध्ययन करता है और राज्य की **कुल शुद्ध कर प्राप्तियों** से शहरी स्थानीय निकाय और **पंचायती राज संस्थान** को **धन** के **वितरण** की सिफारिश करता है।

योजना-5 केंद्रीय वित्त आयोग (सी।एफ।सी।)

- **राज्य** को **1996-97** से **केंद्रीय वित्त आयोगों** की **सिफारिश** के तहत **धनराशि** प्राप्त होती है।
- वर्तमान में **वित्त आयोग प्रभाग**, वित्त मंत्रालय **13वें वित्त आयोग** की **सिफारिश** के तहत **राज्य सरकार** को **धन हस्तांतरित** करता है।
- **संबंधित पंचायतों** के स्तर पर **निधियां** जुड़ी हुई हैं, हालांकि पीने के पानी की सुविधा, सीवेज प्रबंधन ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन, स्ट्रीट लाइट गांव की सड़कों और पुनर्वास और पेयजल से संबंधित नई योजनाओं सहित अन्य **नागरिक सुविधाओं** के **रखरखाव** पर **जोर** दिया गया है।

योजना -6 अंत्येष्टि स्थलों (श्मशान घाट) का विकास

- राज्य भर में **श्मशान घाटों** को बेहतर बनाने और श्मशान स्थल पर **नागरिक सुविधाएं** प्रदान करने के लिए, राज्य सरकार ने "**अंत्येष्टि स्थलों का विकास**" (श्मशान घाटों का विकास) के नाम से वर्ष 2014-15 में मौजूदा **श्मशान घाटों** के **विकास** की **योजना** शुरू की है।
- राज्य सरकार अधिक से अधिक ऐसे **श्मशान घाटों** पर **काम** करने की **योजना** बना रही है, जिनमें **ग्रामीण क्षेत्रों** में ऐसे स्थानों के **पारंपरिक स्थलों** पर **सुधार** और **नागरिक सुविधाओं** की आवश्यकता है।

नगरीय शासन

- भारतीय संविधान के 74वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर उत्तर प्रदेश के राज्य विधानमण्डल ने उत्तर प्रदेश नगरीय स्वायत्त शासन अधिनियम, 1994' पारित किया था
- इसी के आधार पर प्रदेश में नगरीय स्वायत्त शासन की व्यवस्था की गयी।
- 1994 ई० के इस अधिनियम से पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य के नगरीय क्षेत्रों हेतु स्थानीय स्वायत्त शासन की पाँच संस्थाएँ थीं, परन्तु इस अधिनियम द्वारा अब केवल निम्नलिखित तीन संस्थाएँ ही शेष रह गयी हैं –
  a. महापालिका,
  b. नगर पालिका
  c. नगर पंचायत
- यूपी में दो चरणों में नगर निकाय के चुनाव होंगे। पहले चरण की वोटिंग चार मई और दूसरे चरण की वोटिंग 11 मई को होगी,
- जबकि 13 मई को नतीजे आएंगे।
- यूपी निकाय चुनावों में तीन तरह के चुनाव होते हैं-
  - महापालिका,
  - नगर पालिका
  - नगर पंचायत

नगर निगम या महापालिका

- उत्तर प्रदेश नगर निकाय की सबसे बड़ी बॉडी नगर निगम या महापालिका है।
- नगर निगम उस क्षेत्र में गठित होता है जहां कम से कम **5 लाख की आबादी** हो।
- नगर निगम का प्रमुख मेयर या महापौर होता है। यानी नगर निगम चुनाव में मेयर या महापौर चुना जाता है।
- उत्तर प्रदेश में **कुल 17 नगर निगम** हैं। जिनमें आगरा, अलीगढ़, अयोध्या। बरेली, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर,लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, शाहजहांपुर और वाराणसी शामिल हैं।
- इनमें शाहजहांपुर को हाल ही में नगर निगम की श्रेणी में लाया गया है। इस बार शाहजहांपुर में नगर निगम के लिए पहली बार वोट डाले जाएंगे।

नगर पालिका

- यह नगरीय स्थानीय शासन की मध्यम श्रेणी होती है। यानी ये नगर निगम से छोटी होती है।
- जिन स्थानों पर आबादी **1 लाख से 5 लाख** तक होती है, उन क्षेत्रों में नगर पालिका परिषद की स्थापना की जाती है।
- यूपी में कुल **199 नगर पालिकाएं** हैं।
- नगर पालिका में नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव होता है।

नगर पंचायत

- ये नगर पंचायत की सबसे निम्न श्रेणी होती है।
- ये उन क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं जो हाल ही में ग्रामीण से नगरी क्षेत्र में परिवर्तित हुए हैं।
- इन स्थानों में **कम से कम 30 हजार और अधिकतम एक लाख आबादी** होती है।
- उत्तर प्रदेश में कुल 493 नगर पंचायतें हैं।
- नगर पंचायत में नगर पंचायत अध्यक्ष (चेयरमैन) का चुनाव होता है।

3 CHAPTER उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार एवं इसका प्रभाव

- भूमि सुधार से तात्पर्य है भूमि स्वामित्व का उचित व न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना। अर्थात् भूमि के स्वमित्तव को इस प्रकार व्यवस्थित करना जिससे उसका अधिकतम उपयोग किया जा सके।
- ब्रिटिश शासन का प्रमुख उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना था अतः उन्होंने कई भू-राजस्व प्रणालियों की शुरुआत की जैसे- जमींदारी व्यवस्था, रैय्यतबाड़ी व्यवस्था एवं महालवाड़ी व्यवस्था।
- इन सभी व्यवस्थाओं का मूल उद्देश्य अधिकतम राजस्व की वसूली करना था। इनके कारण भू- स्वामित्त्व का असंतुलित वितरण देखने को मिला
- इस असंतुलन को दूर करने के लिये एवं शोषणकारी आर्थिक संबंधों को समाप्त करने के लिये भूमि सुधार की आवश्यकता देखने को मिली।

उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950

- राज्य मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव समिति द्वारा तैयार किए गए जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार विधेयक को मई **1949 में स्वीकृति दी तथा 7 जुलाई को विधान सभा में पेश किए** जाने के बाद उसे **12 जुलाई को विधान मंडल के दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति** को सौंप दिया गया।
- प्रवर समिति का प्रतिवेदन **9 जनवरी 1950 को विधान सभा** में प्रस्तुत किया गया।
- विधेयक अंततः जब दोनों सदनों में पारित हो गया और गवर्नर ने उस पर स्वीकृति की मुहर लगा दी.. तब उसे भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास भेजा गया जिस पर **24 जनवरी 1951 को उनकी स्वीकृति मिल गई।**
- **यह ग्रामीण क्षेत्रों में लागू हुआ था**
- फिर भी जमींदारों द्वारा, जिनकी अंततः- छुट्टी कर दी गई थी, मुकदमा दायर किए जाने के कारण **24 जुलाई 1952 तक उसका लागू किया** जाना रुका रहा।
- इस कानूनी विधेषक ने बिचौलियों के अधिकार को या तो खत्म कर दिया या खत्म कर देने का प्रस्ताव किया और सारी कृषि भूमि राज्य के हवाले कर दी।
- राज्य के विशाल क्षेत्र और आबादी में प्रचलित **46 प्रकार की भूमि काश्तकारियों** वाले विस्मयकारी ढांचे को सरल बनाते हुए इसने **भूमि सेवियों की सिर्फ चार श्रेणियां** निर्धारित की
  - भूमिधर (भूमि का धारक),
  - सीरदार (जोतने वाला),
  - आसामी (स्वामित्व रहित)
  - अधिवासी (दखलकार) जिसे सिर्फ- अस्थायी या शिकमी काश्तकारी का हक हो ।
- अधिनियम को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है।
- **पहले भाग** में **अध्याय 1 से 6** और **दूसरे भाग** में **अध्याय 6 से 12** हैं।
- अधिनियम में **सात अनुसूचियां** और **344 धाराएं** हैं।
- अक्टूबर 1954 में जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार कानून में एक संशोधन करके सभी अधिवासियों को सीरदार का दर्जा दे दिया, जो संख्या में 50 लाख थे।
- ऐसा करते हुए इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया कि उनके भूस्वामी सीरदार थे या भूमिधर उन्हें इन अधिकारों की प्राप्ति के लिए कोई रकम नहीं चुकानी थी।
- सीरदार की हैसियत से वे पिछली दरों के अनुसार लगान चुकाते रहे और लगानों के इन्हीं भुगतानों से राज्य ने जमींदारों को मुआवजा दिया।
- **उद्देश्य -**
  - जमींदारी प्रथा को समाप्त करना
  - छोटे जमींदारों का पुनर्वास
  - भूमि को लगान या पट्टे पर देने पर प्रतिबंध
  - सहकारी खेती को प्रोत्साहन
- उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक 2015 उत्तर प्रदेश विधानसभा ने 26 अगस्त, 2015 को विपक्षी दलों के विरोध के बीच अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन अन्य जातियों के लोगों को बेचने पर लागू प्रतिबंधों को शिथिल करने के लिए उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक 2015 ध्वनिमत से पारित कर दिया।

उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम

- **स्थापना वर्ष:-** 1978
- **यूपीबीएसएन का मिशन**
  - भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को स्थायी तरीके से संरक्षित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा, पुनर्वास और पुन: उत्पादन करना।
  - भूमि विकास, मिट्टी और जल संसाधनों के संरक्षण और सुधार के लिए उपाय करना, सहायता करना, सहायता देना, वित्त देना, क्रियान्वित करना और बढ़ावा देना जैसे: समस्याग्रस्त मिट्टी का सुधार- लवणीय-क्षारीय मिट्टी और बीहड़ क्षेत्रों का सुधार।
- **यूपीबीएसएन द्वारा शुरू की गई सोडिक लैंड रिक्लेमेशन परियोजना का उद्देश्य**
  - सोडिक लैंड्स का रिक्लेमेशन और भूमि की आगे की सॉडीसिटी को रोकना-
  - उपयुक्त मृदा सुधार प्रौद्योगिकी का उपयोग

- मुख्य नालियों का उपयोग और रखरखाव
- कृषि अनुसंधान और विस्तार गतिविधियों को मजबूत करना
- समुदायों का संघटन, और मृदा सुधार गतिविधियों में शामिल प्रमुख संस्थानों को मजबूत करना

उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार

- उत्तर प्रदेश भारत के सबसे बड़े और सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में से एक है, और कई दशकों से राज्य में भूमि सुधार एक महत्वपूर्ण नीतिगत क्षेत्र रहा है।
- राज्य में भूमि के स्वामित्व और किरायेदारी के पैटर्न का एक जटिल इतिहास है, जिसमें बड़े भू-स्वामित्व धनी जमींदारों के एक छोटे समूह और बड़ी संख्या में भूमिहीन किसानों और कृषि श्रमिकों के पास हैं।
- इन असमानताओं को दूर करने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्षों से भूमि सुधारों की एक श्रृंखला लागू की है।

कुछ प्रमुख सुधारों में शामिल हैं:

- ज़मींदारी प्रथा का उन्मूलन
- काश्तकारी सुधार
- भूमि जोत की सीमा
- भूमि पुनर्वितरण
- डिजिटल भूमि अभिलेख - 2 मई 2016 से प्रारंभ
- बिचोलियों का अंत
- भूमि चकबंदी योजना लागू करना
- पट्टे जारी करना
- भूमि बैंकों का गठन

<u>भूमि सुधार के उद्देश्य:</u>

- राज्य में भूमि सुधार का उद्देश्य भूमि के माध्यम से **कृषि उत्पादकता को बढ़ाना एवं सामाजिक न्याय** को सुनिश्चित करना था।
- इसके अलावा भूमि सुधार के अंतर्गत **रोज़गार के नए अवसरों का सृजन** करना,
- आर्थिक क्रियाओं में कृषि भागीदारी को बढ़ावा देना एवं भूमि का प्रभावी व् कुशलतम उपयोग करना था।
- भू-व्यवस्था के अंतर्गत होने वाले सभी प्रकार के शोषण व सामाजिक अन्याय को समाप्त करना
- प्राकृतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण अर्थात आर्थिक न्याय के सिद्धांत को सुनिश्चित करना।
- कृषि क्षेत्रों में उत्पादन के कारकों में आवश्यकतानुसार सुधार करके कृषि उत्पादकता को अधिकतम करना भी इसका उद्देश्य था।
- कृषि क्षेत्रों में उत्पादकता **मुख्यतः दो क्षेत्रों पर निर्भर** करती हैं।

संस्थागत सुधार	तकनीकी सुधार
• जमींदारी प्रथा का उन्मूलन • मध्यस्थों का अंत • भू-स्वामित्त्व कृषकों को हस्तांतरण • खेतों के आकार में सुधार, चकबंदी, हदबंदी • सहकारी व् सामुदायिक कृषि को बढ़ावा • खेतों का उपविभाजन व विखंडन रोकना • लगान में कमी • भू-धारण अधिकारों की सुरक्षा करना	• कृषि का आधुनिकीकरण • उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक • बेहतर सिंचाई व्यवस्था • उन्नत उपकरणों व् तकनीकों का उपयोग • अच्छी भण्डारण व्यवस्था • अच्छी वितरण व्यवस्था • तकनीकी सुधार, संस्थागत सुधारों के बिना प्रभावी नहीं हो सकते इसलिये राज्य में पहले चरण में संस्थागत सुधारों को प्राथमिकता दी गई।

भूमि सुधार के प्रभाव

- उत्तर प्रदेश में भूमि सुधारों का प्रभाव ग्रामीण समुदायों के जीवन स्तर में सुधार, गरीबी कम करने और सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के मामले में महत्वपूर्ण रहा है।
- राज्य में भूमि सुधारों के कुछ प्रमुख प्रभाव इस प्रकार हैं
- **भूमि पुनर्वितरण:** भूमि पुनर्वितरण कार्यक्रमों ने बड़े भूस्वामियों से भूमिहीन किसानों और कृषि श्रमिकों को भूमि
- हस्तांतरित करने में मदद की है, जिससे उनकी भूमि तक पहुंच बढ़ी है और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।
- **कृषि उत्पादकता में वृद्धि:** भूमि सुधारों से भूमि का अधिक समान वितरण हुआ है, जिसने राज्य में कृषि उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि करने में योगदान दिया है।
- **बेहतर जीवन स्तर:** भूमि सुधारों ने भूमि तक पहुंच बढ़ाकर, ऋण और अन्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके और गरीबी को कम करके ग्रामीण समुदायों के जीवन स्तर में सुधार करने में मदद की है
- **लैंगिक समानता:** महिला किसानों के लिए भूमि तक अधिक पहुंच प्रदान करके भूमि सुधारों ने भूमि के स्वामित्व और किरायेदारी के पैटर्न में लैंगिक असमानताओं को दूर करने में मदद की है।
- **सामाजिक अशांति में कमी:** भूमि सुधारों ने काश्तकारों और जमींदारों के लिए काश्तकारी की अधिक सुरक्षा प्रदान करके सामाजिक अशांति और भूमि पर संघर्ष को कम करने में मदद की है।
- **औद्योगिक विकास:** भूमि सुधारों ने औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भूमि के अधिग्रहण की सुविधा प्रदान की है, जिसने राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान दिया है।
- **बेहतर शासन:** भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और अन्य सुधारों ने भूमि प्रबंधन में शासन को बेहतर बनाने, भ्रष्टाचार को कम करने और भूमि लेनदेन में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद की है।